HRA का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] No.194] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2011/चैत्र 16, 1933

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2011/CHAITRA 16, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 304(अ),—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उप-धारा (1), (2), (5) तथा (8) एवं धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कम्पनी नियमावली, 1956 में संशोध करने हेतु निम्नलिखित विनियमन बनाती है, नामशः :-

- 1. (1) इन विनियमों को कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कम्पनी विनियमन, 1956 में विनियमन 2 में, खंड (घ) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश: :
 "घ 'क्षेत्रीए निदेशक' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में
 निम्नानुसार संबंधित क्षेत्रों के लिए नियुक्त किया गया हो :

1	2	3
(i) क्षेत्रीय निदेशक	उत्तरी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, नोएडा (गोतमबुद्ध नगर)	जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़।
(ii) क्षेत्रीय निदेशक	दक्षिण क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, चेन्नई	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तिमलनाडु, केरल तथा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पुडुचेरी ।
(iii) क्षेत्रीय निदेशक	पूर्वी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, कोलकाता	बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य ।
(iv) क्षेत्रीय निदेशक	पश्चिमी क्षेत्र निदेशालय, मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा तथा दमन एवं द्वीव संघ शासित क्षेत्र ।
(v) क्षेत्रीय निदेशक	उत्तर पश्चिम क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र ।
(vi) क्षेत्रीय निदेशक	उत्तर पूर्वी क्षेत्र निदेशालय मुख्यालय, गुवाहाटी	मेघालय, असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा ।"

[फा. सं. 5/18/2005-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : प्रधान विनियम भारत के राजमज में संख्या का.नि.आ. 432 ख, दिनांक 18-2-1956 के द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :—

1. सं. सा.का.नि. 188, दिनांक 9-1-1958

7. सं. सा.का.नि. 367(अ), दिनांक 31-5-1991

2. सं. सा.का.नि. 399, दिनांक 24-3-1962

8. सं. सा.का.नि. 924(अ), दिनांक 14-12-1992

3. सं. सा.का.नि. 1850, दिनांक 1-12-1966

9. सं. सा.का.नि. 610(अ), दिनांक 23-9-2005

4. सं. सा.का.नि. 1445, दिनांक 16-9-1967

10. सं. सा.का.नि. 1291(अ), दिनांक 30-7-2007

5. सं. सा.का.नि. 668, दिनांक 10-6-1973

11. सं. सा.का.नि. 866(अ), दिनांक 29-10-2010

6. सं. सा.का.नि. 523, दिनांक 11-7-1989

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2011 '

- G.S.R. 304(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (5) and (8) of Section 25 and sub-section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely:—
 - 1. (1) These regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies Regulations, 1956, in regulation 2, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—
- "(d) "Regional Director" means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director for the respective regions as under:—

1	2	3
(i) Regional Director	North Region Directorate Headquarter at Noida (Gautam Budh Nagar)	States of Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, National Capital Territory of Delhi, Uttar Pradesh Uttarakhand and Union Territory of Chandigarh.
(ii) Regional Director	Southern Region Directorate Headquarter at Chennai	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Lakshadweep, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Puducherry.
(iii) Regional Director	Eastern Region Directorate Headquarter at Kolkata	States of Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal.
(iv) Regional Director	Western Region Directorate Headquarter at Mumbai	States of Maharashtra, Goa and Union Territory of Daman and Diu.
(v) Regional Director	North Western Region Directorate Headquarter at Ahmedabad	States of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.
(vi) Regional Director	North Eastern Region Directorate Headquarter at Guwahati	States of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur and Tripura."

[F. No. 5/18/2005-C L -V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 432 B dated 18-2-1956 and subsequently amended by:—

1. No. G.S.R. 188, dated 9-1-1958	7. No. G.S.R. 367(E), dated 31-5-1991		
2. No. G.S.R. 399, dated 24-3-1962	8. No. G.S.R. 924(E), dated 14-12-1992		
3. No. G.S.R. 1850, dated 1-12-1966	9. No. G.S.R. 610(E), dated 23-9-2005		
4. No. G.S.R. 1445, dated 16-9-1967	10. No. G.S.R. 1291(E), dated 30-7-2007		
5. No. G.S.R. 668, dated 10-6-1973	11. No. G.S.R. 866(E), dated 29-10-2010		
6. No. G.S.R. 523, dated 11-7-1989			

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064